

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... राजस्थान सरकार (SDO) ..... मुकाम.....

..... बायलु ..... बनाम ..... जे.ए. वगैरा .....

किस्म मुकदमा..... राज अर्थात् ..... नं..... 12/2020 ..... सन्..... 2020 .....


तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>सुनमाला चोपड़ा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... <u>111/120</u> .....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। बिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>23/07/2020</u> ..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>वि.ए.ए.</u> <u>23.6.2020</u></p>	
23/07/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/बिप्रार्थी/प्रतिवादी के नोटिस तामिल अहकाम तामिल अहकाम खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली बिप्रा अर्थात् बिप्रार्थी/प्रतिवादी का वहुत तामिल अहकाम अहकाम जिन्हें विरुद्ध एडतरफा डायवाही अहकाम में लाई जाली है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/08/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>वि.ए.ए.</u></p>	



25/08/2020

प्राथी वहील उपलभित। विप्राथीगिण अनु०।  
 प्राथी के अधिवक्ता की एकपक्षि वदम सुनी  
 गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा कताभा की प्राथी  
 व विप्राथीगिणों के घातेदारी घेत पास पास  
 कामे हुए हो घेतो के बिच जो पुरानी माडे व  
 ठगे कामे हुए थे जो पतमान में आधिपती की  
 पजट से बिधत कामे है। जितमे प्राथी को अपने  
 घेत के सेठी डा सही ज्ञान नही डी पा रहा  
 डे। जितमे प्राथी व विप्राथीगिणों के मद्य घेत के  
 सेठी को लेडर हमेशा तनाजा बना रहला है।  
 इसलिए प्राथी को अपने घेत के सेठी डा सही  
 ज्ञान करवाने हेतु नैयामवनी करनी आवश्यु है। इसलिए  
 प्राथी का नैयामवनी आवेदन स्वीकार किया जाउर  
 नैयामवनी काडेवा किया जावे।

होल: प्राथी अधिवक्ता के निर्देशन पर  
 प्राथी का नैयामवनी आवेदन स्वीकार किया जाउर  
 तदवलीलायत कामे को डमिशानर व सम्बधित अर्थी  
 निविस्त को सहायु डमिशानर निधुक्त किया जाउर  
 काडेवा किया जाता है कि काय स्वयं या सहायु  
 डमिशानर से प्राथी के घातेदारी घेतो की पक्की  
 नैयामवनी माडे पर डमिशानर कुलुड जमा कलाउर  
 करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वामिल  
 पत्रावली हो पत्रावली फेसल कुमा होउर दर्ज  
 नाबर के डय हो दाखिल करतर हो।

  
 25.8.2020

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/रीडर/आवेदन/2020/555

दिनांक:- 31/08/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तारों पत्नी सुखाराम वगैरा जाति जाट, नि. माडपुरा बरवाला तहसील बायतु (बाड़मेर)		2. जेती पत्नी सोनाराम वगैरा 13 जाति जाट नि. अकदड़ा तहसील-बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 125/2020

### आदेश

खसरा नं. 751/531 रकबा 15.8240 हेक्टर मौजा निम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र माडपुरा बरवाला भू अभिलेख निरीक्षक बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त नेखमबंदी की कार्यवाही दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करने के बाद करे।



(विवेक व्यास)


उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/रीडर/आवेदन/2020/556 + 560

दिनांक:- 31/08/2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तारों पत्नी सुखाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री जेती पत्नी सोनाराम वगैरा
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु



उपखण्ड अधिकारी बायतु